9

व्यवसायिक समाज कार्य के मूल्य, सिद्धान्त और नैतिकताएं

**विनटन एल. एवं नील एबेल*

प्रस्तावना

नैतिक मूल्य एक विश्वास अथवा अवधारणा है कि क्या अच्छा और आवश्यक है जो परिवार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अनुभव से उत्पन्न होता है, जबकि समाज और समुदाय को कहा जा सकता है कि वे सामूहिक विश्वास अथवा अवधारणा पर नियंत्रण रखता है। प्रायः विभिन्न समूहों के अंदर निहित मूल्यों एवं उससे भिन्न मूल्यों की व्याख्या करना कठिन होता है।

समाज कार्य के मामलों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा व्यवसाय अथवा क्रियाकलाप गुणों या मूल्यों पर आधारित है। इसके बाबजूद व्यवसाय को सहयोग प्रदान करने वाले तत्व जैसे मनोविकृति -विज्ञान, मनोविज्ञान, विवाह एवं पारिवारीय चिकित्सा पद्धति तथा व्यक्तिगत सलाह समाज कार्य मूल्य व्यवस्था पर आधारित है जो सामाजिक न्याय और निष्पक्षता की ओर केन्द्रित है। समाज कार्य के छात्रों को समाज कार्य व्यवसाय के नैतिक मूल्य के बारे में पढ़ाना व्यवसायिक सामाजीकरण का महत्वपूर्ण भाग है। मूल्य या महत्व (वास्तव में किस प्रकार का होना चाहिए) तथा विश्वास (वास्तव में कैसा है) मुवक्किल (Client) और सामाजिक कार्यकर्त्ता दोनों के मध्य प्रायः विरोधाभास पाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्त्ता को व्यवसायिक महत्व (मूल्य) के बारे में सीखने की आशा करने और संगीकार करने से पूर्व व्यक्तिगत मूल्यों को जागरूक बनाना सबसे ज्यादा आवश्यक है और प्रथम कदम है। समाज कार्य व्यवसायियों के लिए आवश्यक है कि वे नैमिक निर्णय करते समय, नीतिशास्त्र संबंधी तत्थों को वरीयता प्रदान करें तथा अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं निर्णयों को गौण रखें।

प्रो. विनटन एल. एवं प्रो. नील एबेल, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए

समाज कार्य का महत्व तथा आचार संहिता का विकास

अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ के दौरान यू. एस. में विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में गरीबी की समस्या, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार व छोटे-मोटे अपराधिक घटनाएं, अप्रवासियों की दयनीय हालत, भूतपूर्व दास एवं गरीब तबके के लोग तथा बच्चों के कार्य करने की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया गया। 'डोरोथीया डिक्स जैसे सक्रिय कार्यकर्त्ता के प्रयासों से गरीब घरों, मानसिक अस्पतालों (पागलखाना) तथा क्षेत्रों की अमानवीय दशा भी आम-जनता के ध्यान में आई। सामाजिक आंदोलन में शताब्दी बाद दबे-कुचले समूह के जीवन में उत्थान के लिए आवेग आया जिसे 'प्रगतिशील युग' के नाम से जाना जाता है। लोकोपकारी अथवा परोपकारी संगठन और व्यवस्थित (सुविधायुक्त) घरों की स्थापना मानवीय आवश्यकता के अनुसार की गई। आरंभ में जो लोग इन संगठनों के लिए कार्य कर रहे थे, वे लोग प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं थे तथा वे अपने विश्वासों एवं मान्यताओं के अनुसार कार्य करते थे। परिणामस्वरूप परोपकार में लगे कार्यकर्त्ताओं के न्याय और अनभिज्ञता के कारण मुश्किल (पीड़ित जन जिनकी सेवा या सहायता की जा रही थी) के प्रति असंवेदनशीलता एवं उचित निर्णय नहीं लेने का किस्सा परोपकारी संगठनों के लिए समस्या बनकर उभरा। इससे निजात पाने के लिए संगठन का प्रशासन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को समाज कार्य से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धान्त भी शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं से सहायता मांगी और कालांतर में इसी मार्ग पर अग्रसर हुए।

आरम्भ से ही लोकोपकारी संगठनों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों में समाज कार्य से संबंधित लक्ष्य और उद्देश्य सम्मिलित थे, जो निम्न थे– आदर का महत्व, व्यक्तिगत योग्यता व परम इच्छाशक्ति, स्व-निर्धारण की योग्यता, स्वायत्तता तथा सामाजिक न्याय। समाज कार्य पाठ्यक्रम की नीतियों द्वारा ही प्रमुख व्यवसाय संबंधी (मूल्यों) गुणों अथवा पढ़ाए जाने वाले तथ्यों का निर्धारण हुआ तथा 1947 में आयोजित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के सम्मेलन में एक औपचारिक नैतिक संहिता को अपनाया गया। नीति विषयक संहिता का समाप्त कार्य व्यवसाय संबंधी, नैतिक संहिता के नवीनतम संस्करण को छोड़ के प्रतिनिधि सभा द्वारा 1999 में संशोधित किया गया था। बहुत सारे लेखकों ने समाज कार्य

में निहित मूल्यों और नैतिकता की असमंजस स्थिति के बारे में विवरण दिया है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, समस्याओं की जटिलता, जोखिम उत्तरदायित्व का मुद्दा तथा प्रोद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग आदि सभी तत्वों ने समाज कार्य व्यवसाय के नीति विषयक संहिता को एक महत्वपूर्ण वर्तमानकालीन उपयोगी प्रासंगिक विषय बनाने में योगदान दिया है।

नैतिक विकास और आचार संहिता (नैतिकता) संबंधी निर्णय

20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख सैद्धांतिकविद् जैसे जीन विगेट, लारेढस कोहलबर्ग तथा कारोल गिलिगन ने नैतिक विकास के सिद्धान्त के बारे में लिखा। व्यवहार मनौविज्ञान के क्षेत्र ने भी मनौवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य द्वारा नैतिक विकास को प्रभावित किया संज्ञानात्मक विकास का संदर्भ है।

पीगेट के अनुसार बच्चे विषम अवस्था में नैतिकता के बारे में सोचना आरंभ करते हैं। जिसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वे अपने कर्तव्य से मजबूती से जुड़े होते हैं और अधिकृत निकाय व्यक्ति (Authority) के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। युवा बच्चों की सोच आत्मकेन्द्रित होती है इसलिए वे अपने संदर्भ में सोच सकते हैं कि दूसरों के संदर्भ में। यह संज्ञानात्मक ढांचा वास्तविक नैतिकता या वस्तुनिष्ठ जवाबदेही से जुड़ा होता है और नियम सिद्धान्त के उद्देश्य के ऊपर नियम संबंधी लेख या लिखित नियम के महत्व को प्रदर्शित करता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह कार्य या व्यवहार में गलत होने पर दण्ड की संभावना से प्रभावित होता है। दूसरे बच्चों और वयस्कों से मेल-जोल से बच्चे पता लगा लेते हैं कि नियम हमेशा अनुकूल नहीं होते। इस प्रकार का अनुभव सोच को अधिक स्वायतता की ओर ले जाता है जिससे नैतिकता को समझने की अगली अवस्था आरंभ होती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है:

नियमों का विशेष रूप से आलोचनात्मक परीक्षण करना और उत्कृष्ट नियमों को लागू करना जो कि सहयोग करने की इच्छा या आपसी अनुभव पर आधारित होता है संज्ञानात्मक रूप से बच्चे आत्मकेन्द्रित स्थिति से मन को आकर्षित करने वाले परिदृश्य की ओर बढ़ जाते हैं।

कोहल बर्ग ने (1984) पीगेट के कार्य को संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रदान किया। ये जीवन अनीति पर व्याख्यान देते रहे। उन्होंने अपना जीवन एक स्वयं सेवक के रूप में एक ऐसे जलयान पर आरंभ किया जो अवैध रूप से यहूदी शरणर्थियों को यूरोप से फिलिस्तीन, ब्रिटिश नाकाबन्दी के दौरान 1948 में ले जा रहा था। इस कार्य का यह परिणाम हुआ कि वह पकड़ा गया तथा साइप्रस में प्रवेश किया, वहां से बचकर फिलिस्तीन चला गया और अंत में पुनः यू.एस. वापस हो गया। वहां वह दूसरे नाविकों के दल में शामिल हो गया जो शरणार्थियों को ढ़ोने का कार्य करते थे। यू. एस. में उसने मनोविज्ञान का अध्ययन कर उपाधि प्राप्त की। इसके बाद मेले शिकागों तथा हवार्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य भी किया। हवार्ड विश्वविद्यालय में उसने नैतिक शिक्षा अध्ययन का एक केन्द्र स्थापित किया।

पीगेट के समान कोहलबर्ग ने भी बताया कि बच्चे अपने अंदर परंपरागत नैतिक विचारों की समझ को उत्पन्न करते हैं, उदाहरण स्वरूप न्याय, अधिकार, समानता तथा मानव कल्याण आदि। अंततोगत्वा कोहलबर्ग ने स्पष्ट रूप से माना कि बहुत सारे लोग सामाजीकरण एवं परिपक्वता के बावजूद अपने विरोधाभास की बजह से निरपेक्ष या उच्च स्तर पर कभी नहीं पहुंच सकते। उनके सिद्धांत का बहुत कुछ मुख्य रूप से छोटे एवं किशोरों के छोटे-छोटे दल के व्यवहार पर निर्भर उदाहरण और काल्पनिक, नैतिक असमंजसता की प्रतिक्रिया पर आधारित है। असमंजस्ता पर एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि यदि बीमार पत्नी का संकट ग्रस्त पति जिसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिससे की पत्नी की जान बचाई जा सके तो पति द्वारा दवा की चोरी करना उचित है। नैतिकता के अनुसार चोरी करना गलत है परन्तु यहां जान बचाने के लिए चोरी करने जैसा अपराध आवश्यक प्रतीत होता है। नैतिक विरोधाभास की ऐसी स्थितियों के बारे में अनुसंधान कर कोहलबर्ग ने नैतिक कारक की छह अवस्था के बारे में बतलाया है, जिसे उसने तीन श्रेणियों में बांटा-पूर्व अभिसामयिक, अभिसामयिक तथा अतीत अभिसमायिक नैतिकता (क्रेन 1985)।

स्तर-1 **पूर्व अभिसामयिक**

अवस्था-1 आज्ञाकारी तथा दंड की संभावना।

स्तर प्रथम (i) पीगेट की प्रथम अवस्था का सदृश्य है जिसमें बच्चा कल्पना करता है कि शक्तिशाली अधिकृत निकाय/व्यक्ति (Authority) निश्चित नियम का आज्ञापालन चाहता है।

अवस्था -2(ii) व्यक्तिवाद और विनिमय (आदान-प्रदान)

इस अवस्था में बच्चे स्वीकार करते हैं कि भिन्न -भिन्न व्यक्ति का मत कि क्या गलत है या सही है, भिन्न-भिन्न है। प्रत्येक क्रिया का औचित्य सावेक्षिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार सोच को आगे बढ़ाते रहने की धारणा को अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है व्यवहारिक विचार से 'दण्ड के प्रति भय' अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है। प्रथम स्तर में बच्चा जानता है कि क्या गलत है क्योंकि उसके साथ दंड जुड़ा हुआ है और दंड यह साबित करता है कि आज्ञा का अनुपालन नहीं करना गलत है। द्वितीय स्तर में, बच्चा विश्वास करता है कि दंड एक जोखिम है, जिससे कोई भी बचना चाहेगा।

द्वितीय स्तर **अभिसामयिक नैतिकता**

अवस्था -3 आपसी संबंध

इस अवस्था में बच्चा या किशोर नैतिकता को काफी जटिल धारणा के रूप में देखता है। उनके पास यह समझ होती है कि उनके परिवार, दोस्त तथा समुदाय के दूसरे लोग किस प्रकार के अच्छे व्यवहार की आशा करते है, लेकिन अपने सगे-संबंधियों तक ही।

अवस्था -4 **सामाजिक आदेश का पालन**

यह प्रथम अवस्था है जहां व्यक्ति पूर्ण समाज से जुड़ा होता है, जबकि कुछ प्रेरणादायक तत्वों को समाज के आदेश के पालन के लिए अच्छा माना जा सकता है जैसे कि– नियम को मानना चाहिए, अधिकृत निकाय/व्यक्ति (Authority) का आदर करना चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य भी यहां पर मौजूद है जहां तर्क काम नहीं करता– जैसे कि क्या होगा यदि हम

लोग अच्छे-अच्छे कारण के आधार पर कानून को तोड़ना शुरू कर दें और जिसका जवाब है समाज नहीं चल सकता क्यों कि वहां अव्यवस्था व अराजकता फैल जाएगी।

तृतीय स्तर **अतीत अभिसामयिक नैतिकता**

अवस्था -5 **सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत अधिकार**

इस अवस्था में व्यक्ति संक्षिप्त में कह सकता है कि क्या समाज को अच्छा बनाता है। वे सामाजिक मूल्यों और लोगों को प्राप्त अधिकार के बारे में प्रश्न कर सकते हैं तथा प्रचलित विचार एवं यथास्थिति के बारे में आलोचना कर सकते हैं। अवस्था 5 के प्रतिवादी, सामाजिक समूह की भिन्नता को उनके महत्व के साथ स्वीकार करता है लेकिन यह भी मानता है कि सभी लोग कुछ मौलिक अधिकार पर जरूर सहमत होगें साथ ही अनुचित कानून को बदलने तथा समाज के तरक्की के लिए लोकतांत्रिक तरीके को अपनाने पर भी जरूर सहमत हो जाएंगें।

अवस्था- 6 **सार्वभौमिक सिद्धान्त**

अकेले प्रजातांत्रिक व्यवस्था से अच्छा परिणाम हमेशा प्राप्त नहीं होता है, नैतिकता और कानूनी सिद्धांत एक दूसरे से टकरा सकते हैं। अवस्था 6 में व्यक्ति न्याय पाने के लिए सिद्धांत को प्रभावित करता है। कोहलबर्ग का 'न्याय की अवधारणा' रॉवल, तथा 'गांधी जी' की धारणा से प्रभावित हुआ। इस दार्शनिक के अनुसार न्याय का सिंद्धान्त सार्वभौमिक है। तथा हम लोगों के लिए भी जरूरी है कि समानता का दृष्टिकोण रखें तथा सभी का सम्मान करें। इसके लिए 'सविनय अवज्ञा' की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप किंग मार्टिन लूथर ने तर्क दिया कि 'न्याय के प्रति वचनबद्धता के अनुचित कानून को नहीं मानना आवश्यक है क्योंकि वही कानून सही है जो न्याय पर आधारित है।

कोहलबर्ग ने सलाह दी कि उनके द्वारा प्रस्तुत नैतिकता विकास का 'अवस्था क्रम सिद्धांत' सर्वव्यापी था क्योंकि

अन्वेषणकर्ताओं ने इस सिद्धांत की जांच के लिए बच्चों और व्यस्कों का सिर्फ यू.एस. में नहीं बल्कि भारत, मैक्सिकों, ताइवान, तुर्की, इसराइल यूक्रेन, केन्या तथा बहमास में भी साक्षात्कार लिया। इसके बावजूद कुछ प्रमाण मिले कि लोग भिन्न जाति से क्रम में आगे बढ़े और अलग-अलग अंतिम बिन्दु तक अंशतः पहुंचने की कोशिश की जो सामाजिक-वार्षिक महत्व या लगाववाद की दिशा पर आधारित था। देश के शहरी क्षेत्रों में परिणाम सामान्य था और दूरस्थ गांवों और जनजातीय समुदायों में यह दुर्लभ पाया गया कि व्यस्कों ने अवस्था 3 के आगे के कारकों को समझ के साथ प्रदर्शित किया।

बगरोल गिलिगन नामक महिला मनोवैज्ञानिक ने भिन्न मत जाहिर किया। महिला का विकास एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नामक अपनी पुस्तक में उसने कोहलबर्ग और दूसरों के पुरूष उदाहरणों पर आधारित सिद्धांत की आलोचना की। वे बताती है कि पुरूषों में नैतिक विकास की तुलना में स्त्रियों में नैतिक विकास इस अर्थ में भिन्न है कि यह जरूरतमंदों की सहायता करने के सिद्धांत पर आधारित है और जिसे सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग करता है। साथ ही दूसरे से अनुचित तरीके से व्यवहार नहीं करता, जब कि शोध में लिंग भिन्नता और नैतिक विकास को मिला दिया गया है। गिलगन ने जागरूकता बनने में यह योगदान दिया कि 'ध्यान रखना' नैतिक कारक का भिन्न हिस्सा है। 'नैतिकता का ध्यान' सामाजिक कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नैतिक कारकों पर आधारित नैतिक सिद्धांत, नीति शास्त्र के इस संदर्भ को भी समाहित कर सकते हैं जिसके अंतर्गत निश्चित क्रियायें बिना परिणाम के अथवा बिना अपने क्रम के स्वभाविक रूप से सही या गलत होती हैं। (ग्रीक शब्द 'टेलीओस' का अर्थ है 'लक्ष्य या अन्त की ओर लाना)

मीमांशा अथवा नीतिशास्त्र के जो दो सिद्धांत हैं वे यह हैं:

प्रथम आत्मावाद का स्वार्थ का सिद्धांत तथा द्वितीय वह सिद्धांत जिसके अनुसार प्राणिमात्र का सुख ही समाज कार्य का लक्ष्य होना चाहिए अर्थात उपयोगितावाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक रूप से उपयोगितावाद अविा यह विचार कि ' यह कार्यवाही सही है, यदि यह अधिकतम अच्छा का समर्थन करता है तो समाज सेवकों के द्वारा किये गये बहुत सारे कार्यो का औचित्य सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बावजूद उपयोगितावाद अनिश्चिय की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है क्योंकि इसका उपयोग एक समूह की इच्छाओं को दूसरे समूह पर थोपने या समर्थन हेतु भी किया जा सकता है। उपयोगितावाद का विकल्प अधिकार पर आधारित सिद्धांत या न्याय का सिद्धान्त है जो मौलिक अधिकार पर केन्द्रित है और अत्याचार असमान व्यवहार और असहिष्णुता से बचाता है। रावल (1974) ने अपनी पुस्तक को प्रस्तुत किया है कि लोगों में समाज का मान-प्रतिष्ठा के भिन्नता के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। वे एक नैतिक ढांचे के बारे में वर्णन करते हैं जिसमें प्राथमिकता के क्रमानुसार प्रबंधन पर आधारित लाभुकों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। नैतिक निर्णय प्रायः नैतिक मूलय या कर्तव्य के बारे निर्णय हैं जो एक दूसरे पर पूर्ववर्ती हैं। रावल ने इसे 'शाब्दिक आदेश' या 'शाब्दिक प्रबंधन' संबोधित किया।

समाज कार्य शिक्षक फ्रेडेरीक रीमर, जिन्हें समाज कार्य कें महत्व और नीति के बारे में लेखन के लिए जाना जाता है, ने निम्नांकित नैतिक निर्णायक क्षमता प्रारूप के बारे में बताया है:

1) नैतिक पहलूओं की पहचान, जिसमें समाज कार्य का महत्व कर्तव्य तथा आपस में विरोधाभास स्थिति, भी शामिल हो।

2) व्यक्ति विशेष, समूह तथा संस्था को पहचानना जो नैतिक निर्णय से प्रभावित होते है।

3) प्रयोगात्मक रूप में सभी व्यवहार व क्रिया तथा शामिल प्रत्येक भागीदार को प्रत्येक के लिए उससे लाभ तथा जोखिम का साथ पहचानना।

4) प्रत्येक क्रिया का पक्ष और विपक्ष के कारणों की जांच -पड़ताल करना और निम्न प्रासंगिकता पर विचार करना:

a) नैतिक और कानूनी सिद्धांत की संहिता

b) नैतिक परिकल्पना, सिद्धांत और दिशा निर्देशन (उदाहरण नीतिशास्त्र और उद्देश्य मूलक उपयोगितावाद के परिप्रेक्ष्य तथा नैतिक दिशा-निर्देशन जो उस पर आधारित हो)

c) समाज कार्य व्यवहार परिकल्पना और सिद्धांत

d) व्यक्तिगत मूल्य धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्य व राजनीतिक विचारधारा, मुख्य रूप से वे सब जो एक दूसरे से प्रतिकूल हों।

5) सहकर्मी तथा उचित विशेषज्ञ से संपर्क जैसे ऐजेन्सी के कर्मचारी, पर्यवेक्षक, एजेन्सी का प्रशासन अटार्नी (न्यायवादी) एवं नैतिक शास्त्र के निदान।

6) निर्णय लेना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का दस्तावेज तैयार करना।

7) निर्देशन, मूल्यांकन और निर्णय का उल्लेख करना।

आचार संहिता का एन.ए.एस.डब्ल्यू. नीति विषय संहिता

वर्ष 1999 में NASW प्रतिनिधि सभा ने नीति का पुनर्निरिक्षित नीति विषयक संहिता स्वीकार किया। NASW विभिन्न प्रकार के परिवेश में कार्य करने वाल समाज कार्य व्यवसायियों हेतु मानदंड (मानक नियम) भी प्रकाशित करता है। ये परिवेश निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं–

मुवक्किल (Client) के साथ अव्यवस्था, किशोरावस्था, बच्चे का कल्याण, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, मामला प्रबंधन, लंबे समय तक देख-भाल संबंधी कार्य, लद्युकारी तथा जीवन के अंतिम समय तक देखभाल, अनुवांशिकी आदि। इसके साथ ही सांस्कृतिक योग्य मानदंड भी प्रकाशित करता है। ये मानदंड समाज कार्य व्यवसायिक मूल्य और नीति संहिता पर आधारित है। NASW नीति विष्यक संहिता निम्न हैं तथा इन्हें वेबसाइट h++p.//www. socialworkers.prg/pubs/ code/default.asp. नेशनल एसोसिएशन मॉक सोशल वर्कस की नैतिक संहिता प्रस्तावना।

समाज कार्य व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य मानव कल्याण कार्य को आगे बढ़ाना और लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के साथ मुख्य रूप से समाज के उन लोगों के अधिकार और आवश्यकता पर ध्यान देना है जिन्हें इसकी

आवश्यकता है तथा जो दबाया कुचला गया हो एवं गरीबी में जी रहा हो। समाज कार्य की ऐतिहासिक तथा परिभाषित विशेषताएं हैं– सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति विशेष का कल्याण तथा समाज का कल्याण के ऊपर व्यवसाय का मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित रखना, सामाजिक सामर्थन पर ध्यान देना– जो निर्माण करता है, सहयोग देता है तथा जीवन-यापन से संबंधित समस्याओं को निपटाता व सुलझाता हो।

सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है तथा समस्या ग्रस्त लोगों के साथ एवं उसके पक्ष में न्यायिक एवं सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करता है। समूह, मुवक्किल शब्द (Client) का प्रयोग व्यक्ति विशेष, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय को इंगित करने के लिए किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सांस्कृतिक एवं जातीय विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होता है तथा भेदभाव, दमन, गरीबी और सामाजिक अन्याय के अन्य रसों को समाप्त करने के लिए घोर प्रयास करता है। ये क्रिया-कलाप निम्न रूपों में हो सकता है– व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा कार्य, समुदाय सेवा संचालन, पर्यवेक्षण, परामर्श सेवा, सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध वकालत, सामाजिक व राजनीतिक कार्यवाही, सार्वजनिक विकास हेतु नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन, शिक्षा एवं शोधकार्य तथा मूल्यांकन। सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की क्षमता को बढ़ाने में सहायता देता है, जिससे कि जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो सकें। सामाजिक कार्यकर्ता संस्था, समुदाय तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की क्षमता आगे बढ़ाने में सहायता देता है, जिससे कि वे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकें तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने के प्रति जागरूकता दिखलायें।

सामाजिक कार्य व्यवसाय का लक्ष्य इसके कृत संकल्पित मुख्य गुण में निहित हैं। ये मूल गुण (मूल्य) समाज कार्य व्यवसाय के इतिहास के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मिलित किये गये। समाज कार्य के विशिष्ट उद्देश्य तथा विचार तत्व की संस्थापन करने वाले उपरोक्त मूल गुण निम्न हैं–

- सेवा
- सामाजिक न्याय
- व्यक्ति की योग्यता तथा मान-सम्मान

- मानवीय संबंधों का महत्व
- सच्चाई तथा ईमानदारी
- कुशलता

नक्षत्र तारामंडल के सदृश्य मूल गुणों का यह स्थायी समूह सामाजिक कार्य व्यवसाय की विलक्षणता को प्रतिविपित करता है। मूलभूत गुण और सिद्धांत जो उनसे निकले हैं वह निश्चित रूप से मानवीय अनुभव की जटिलता और इनके संदर्भ में संतुलित होना चाहिए। NASW की नीति विषयक संहिता का लक्ष्य समाज कार्य के केन्द्र में निहित है। व्यवसाय का यह कर्तव्य है कि वह स्पष्ट रूप से आधारभूत मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों, नैतिकता संबंधी मानदंडों को बतलाये। इन मूल्यों सिद्धांतों तथा सामाजिक कार्यकर्ता के आचरणों को निर्देशित करने वाले मानदंडों को घोषित व प्रकाशित करता है। यह नीति विषयक संहिता सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज कार्य के छात्रों के लिए प्रसांगिक है चाहे वे किसी परिवेश या वातावरण में काम कर रहे हैं अथवा विभिन्न जातीय समूहों के बीच काम कर रहे हों अथवा व्यावसायिक क्रिया-कलापों का विषय क्या है।

NASW की नीति विषयक संहिता निम्नलिखित छह उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है–

1) नैतिक संहिता मूल गुणों को सत्यापित करती है, जिन पर सामाजिक कार्य का लक्ष्य आधारित है।

2) नैतिक संहिता विस्तृत नैतिक सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है जो व्यवसाय के मूल गुणों को प्रतिविदित करता है। इसका प्रयोग समाज कार्य के दिशा-निर्देशन में किया जाना चाहिए।

3) नैतिक संहिता को सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि वे संबंधित जरूरतों को समझ सकें जैसे कर्तव्य के निर्वध्न में विरोधामास उत्पन्न हो जाए अथवा नैतिकता संबंधी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाए।

4) नैतिक संहिता ऐसे नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है जिससे साधारण लोग भी समाज कार्य व्यवसाय के उत्तरदायित्व का भार वहन कर सकते हैं साथ ही उस पर नियंत्रण भी रख सकते हैं।

5) नैतिक संहिता, समाज कार्य क्षेत्र में जो नये व्यवसायी प्रवेश करते हैं उन्हें समाज कार्य के लक्ष्य महत्व तथा नीति विषयक मानदंड के प्रति सामाजिक संदर्भ में जागरूक करता है।

6) नैतिक संहिता मानदंडों के बारे में स्पष्ट बतलाता है ताकि सामाज कार्य व्यवसायी स्वयं इसका मूल्यांकन कर सके तथा यह जान सके कि सामाजिक कार्यकर्ता अनैतिक कार्य से जुड़ा है अथवा नहीं। अब सामाजिक कार्यकर्ता के विरूद्ध शिकायत का मामला आता है तब NASW निर्णय लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया का पालन करता है।

सूचना हेतु– NASW के निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया को जानने के लिए NASW के शिकायतों के विरूद्ध निर्णय लेने की कार्यवाही का अवलोकन करें। इस नैतिक संहिता से जुड़े होने के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं से आशा की जाती है इसके कार्यान्वयन में सहयोग दे, NASW की सुनवाई प्रक्रिया में भाग ले तथा NASW द्वारा किसी भी प्रकार के अनुशासनाध्यक नियम पालन करें तथा नैतिक कानून के उल्लंघन के विरूद्ध किये गये दंड को स्वीकार करें।

नैतिक संहिता मूल्यों, सिद्धांतों और मानदंडों का समूह स्थापित किया है जो निर्णय लेने की क्षमता तथा आचरण से संबंधित मामलों में, जब नैतिक मुद्दा सामने आता है तब मार्ग दर्शन प्रदान करता है। ये नियम यह आदेश नहीं देते कि सामाजिक कार्यकर्ता को किस प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करना चाहिए। नैतिक संहिता के विशेष प्रयोग में जिसके संदर्भ में इसे लागू किया जा सकता है, उसका और नैतिक संहिता के मूल्यों सिद्धांतों तथा मानदंड के मध्य विरोधाभास की संभावना की स्थिति का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत से परिवार के स्तर तक, समाज से व्यवसायिक क्रिया-कलाप के स्तर तक अर्थात सभी मानवीय संबंधों के बीच नैतिक उत्तरदायित्व का बोध उपस्थित होता है।

इसके अतिरिक्त NASW की नैतिक संहिता यह नहीं बताता है कि कौन से मूल्य, सिद्धांत एवं मानदंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनमें विरोधामास की स्थिति उत्पन्न होने पर किसे महत्व देना चाहिए। अर्थात् सभी मूल्य, सिद्धांत एवं मानदंड का महत्व समान हो व्यक्तियों के सोच-विचार तर्क के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी यह विद्यमान होता है

विरोधाभास की स्थिति में वे भी भिन्न -भिन्न तर्कों का सहारा लेते हैं कि किस प्रकार नैतिक मूल्य सिद्धांत और मानदंड को क्रमबद्ध किया जाए अर्थात संबंधित परिस्थितियों में किसे महत्वपूर्ण माना जाए। दी गई स्थिति में नैतिक निर्णय करने के लिए समाज सेवक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात निर्णय का प्रयोग करना चाहिए और यह भी विचार करना चाहिए कि मुद्दा विशेष से संबंधित विरोधाभास की स्थिति में जब समाज कार्य व्यवसाय के नैतिक विषयक मानदंड का उपयोग किया जाता है, तब उस स्थिति में उन मुद्दों का सावधानीपूर्वक समीक्षा करने को प्रक्रिया के तहत कैसे अपना मत निश्चित किया जाएगा।

नैतिक विषय पर निर्णय करना एक प्रक्रिया है। समाज कार्य क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं, जहां जटिल नैतिक पहलू का समाधान करने के लिए साधारण उपाय (उत्तर) मौजूद नहीं है सामाजिक कार्यकर्ता (समाज सेवक) को सभी मूल्य (गुण) सिद्धांत और मानदंड (मानक नियम) पर नैतिक -संहिता के संदर्भ में विचार करना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति से जुड़ा हुआ हो सकता है जिनमें नैतिक निर्णय मान्य होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का निर्णय व क्रिया-कलाप नैतिक संहिता तथा अंतरआत्मा से जुड़ा होना चाहिए।

नैतिक विचार को जानने या सोचने के, नैतिक संहिता के अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे उपयोगी साधन भी उपलब्ध हैं। सामाजिक कार्यकर्ता को सामान्यता नैतिक परिकल्पना तथा सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए जैसे समाज कार्य परिकल्पना एवं शोधपरक विचार, कानून वे नियमन एजेन्सी नीतियां और नीति से संबंधित अन्य नियमावली (संहिता) इन्हें तो मानना ही चाहिए साथ में सामाजिक कार्यकर्ता को NASW के नैतिक संहिता को प्राथमिक स्त्रोत के रूप में अनिवार्य रूप से शिराधार्य करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को मुवक्किल (Client) के नीति-विषयक निर्णय की क्षमता के बारे में भी जागरूक होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत मूल्य और सांस्कृतिक व धार्मिक विश्वास तथा व्यवहार के प्रभाव के बारे में भी समझ विकसित होना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक मूलय के बीच विरोधाभास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और इन सब के प्रति जिम्मेदारी के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिशा-निर्देशन के लिए समाज सेवक को व्यवसायिक नीति और नैतिक-निर्णय को जानने व समझने के लिए इससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए

और जब नैतिक विषयक संकट का सामना करना पड़े तो समाधान हेतु उचित संपर्क के अंतर्गत-एजेन्सी पर आधारित संगठन अथवा समाज कार्य संगठन, नीति समिति, नियमन संस्था, जानकार सहपाठी, निरीक्षक या अधिवक्ता को शामिल किया जा सकता है।

इस तरह का मामला तभी उठ सकता है जब समाज सेवक के नैतिक जवाबदेही एजेन्सी की नीति या उससे जुड़े कानून या नियमन में विरोधाभास हो, ऐसी परिस्थिति में समाज सेवक को मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिक संहिता के साथ व्यक्तिगत जवाबदेही का सामंजस्य स्थापित करते हुए विरोधाभास का समाधान करना चाहिए और यदि विरोधाभास का एक उचित समाधान संभव जब नहीं हो तो समाज सेवक को निर्णय लेने से पहले उचित प्रकार की सलाह ले लेनी चाहिए।

NASW को नैतिक संहिता का उपयोग NASW द्वारा किया जा सकता है, जब व्यक्तिगत एसेन्सी, संस्था (जैसे अनुज्ञाप्तिधारी और नियमन बोर्ड व्यवसायिक जवाबदेही बीमाकर्ता, कोर्ट एजेन्सी बोर्ड का डायरेक्टर, सरकारी एजेन्सी और दूसरे व्यवसायिक समूह) इसे स्वीकार करते हैं या निर्देशन के रूप में प्रदान करते हैं। नैतिक संहिता के मानदंड का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। ऐसा निर्णय सिर्फ कानून एवं न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में ही किया जा सकता है। जिस नैतिक संहिता के उल्लंघन का आरोप आप पर लगा है उस पर ध्यान पूर्वक विचार करना होगा। यह प्रक्रिया सामान्यता कानून या प्रशासनिक तरीका से भिन्न होता है साथ ही यह पुनर्विचार के तरीके से भी भिन्न है और जो व्यवसायिक है उन्हें अनुमति देता है कि सलाहकार ग्रुप के सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।

नीति विषयक संहिता नैतिक व्यवहार की गारंटी नहीं दे सकता है साथ ही यह सभी नैतिक पहलू या विवादों का भी समाधान नहीं कर सकता है। और जब जटिलता की बात उठती है तो उसका समाधान समुदाय के नैतिकता के अन्दर रहकर जटिल समस्या के समाधान को प्रयास करता है। नीति विषयक संहिता वर्णन करते हैं, किसका-तो मूल्य और नैतिक सिद्धांत का नैतिक मानदंड घोषित करता है, जिससे व्यवसायिक प्रेरित होता है और उसके द्वारा क्रिया-कलाप का मूल्यांकन किया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता का नैतिक व्यवहार उसके

द्वारा नैतिक व्यवहार से जुड़े होने के कारण ही व्यक्ति निश्चिय ही उसके नैतिकता के रूप में परिलजित होता है। NASW की नीति-संहिता के फलस्वरूप सामाजिक कार्यकर्ता का दृढ़ निश्चय व्यवसायिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नैतिक कार्य के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धांत व मानदंड अच्छे चरित्र के व्यक्तियों द्वारा ही लागू करना चाहिए ताकि वे विश्वास के साथ नैतिक प्रश्नों का विश्वसनीय नैतिक जजमेंट खोज करने में समर्थ हो सकें।

नैतिक सिद्धान्त

निम्नांकित विस्तृत नैतिक सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ता के सेवा का मुख्य मूल्य जैसे- सामाजिक न्याय, मान प्रतिष्ठा और व्यैक्तिक योग्यता मानवीय संबंधों का महत्व, ईमानदारी सच्चाई और योग्यता पर आधारित है। यह सिद्धांत एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है जिससे सभी समाज सेवक को प्रेरित होना चाहिए।

सेवा का गुण

नैतिक सिद्धान्त– सामाजिक कार्यकर्ता का प्राथमिक लक्ष्य है– जरूरतमंद लोगों को सहयोग करना और सामाजिक समस्या की व्याख्या करना था इसके बारे में जानकारी देना। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा कार्य करता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपना ध्यान ज्ञान मूल्य (गुण) और बुद्धि का प्रयोग लोगों को सहयोग करने तथा सामाजिक समस्या को संबोधित करने में करता है। सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी आर्थिक लाभ की प्राप्ति की आशा के स्वंयसेवकों को व्यवसायिक गुणों के द्वारा अपने परिश्रम से प्रोत्साहित करता है।

गुण सामाजिक न्याय

नैतिक सिद्धांत: सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक अन्याय के प्रति चुनौती।

सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यत: असुरक्षित और दबे-कुचले लोग और लोगों के समूह के साथ और उनके पक्ष में सामाजिक परिवर्तन में लगा रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता का सामाजिक परिवर्तन का प्रयास प्राथमिक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के दूसरे पहलूओं पर केन्द्रित रहता है। ये क्रिया-कलाप कार्यकर्ताओं के संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और अत्याचार

संस्कृति एवं जातीय विभिन्नता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आवश्यक जानकारी सेवा, साधन, समानता का अवसर और सभी लोगों निर्णय करने की भागीदारी के अवसर अर्थात् इनमें भाग लेने का अवसर मिल सके सुनिश्चित करता है।

मूल्यः व्यक्ति की योग्यता व मान सम्मान

नैतिक सिद्धांतः सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की योग्यता और अन्तर्निहित मान सम्मान का आदर करता है। सामांजिक कार्यकर्ता प्रत्येक के सम्मान को ध्यान पूर्वक निरीक्षण करता है तथा आदर के साथ दृष्टि रखता है और उनके मानसिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। साथ ही मुवक्किल (Client) की क्षमता और परिवर्तन के अवसर को बढ़ाने का कार्य संपन्न करता है एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास दोहरी जवाबदेही होती है– एक तो मुवक्किल (Clint) के प्रति तथा दूसरा व्यापक समाज के प्रति सामाजिक कार्यकर्त्ता क्लाइंट की जरूरतें तथा वृहद सामाजिक आवश्यकताओं के विवाद में सामाजिक जिम्मेवारियों के तहत मूल्य, नैतिक सिद्धांत और व्यवसाय का नैतिक मानदण्ड को ध्यान में रखकर विवाद का समाधान करता है।

मूल्यः मानवीय संबंधों का महत्व

नैतिक सिद्धांतः सामाजिक कार्यकर्त्ता मानवीय संबंधों के केन्द्रीय महत्व को स्वीकार करता है। सामाजिक कार्यकर्त्ता यह समझता है कि लोगों के बीच जो आपसी संबंध है वह सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। समाज सेवक लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें सहकर्मी के रूप में शामिल करते हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का उद्देश्य पूर्ण तरीके से आपसी संबंधों को मजबूत करता है जिससे समाज की तरक्की, पुर्नस्थापना और व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक समूह संस्था और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

मूल्यः ईमानदारी व सच्चाई

नैतिक सिद्धांतः समाज सेवक विश्वसनीय तरीके से व्यवहार करता है।

समाज सेवक व्यवसायिक लक्ष्य, महत्व, नैतिक सिद्धांत और नैतिक मानदण्ड के प्रति हमेशा जागरूक बना रहता है और उनसे इस प्रकार व्यवहार करता है, जिससे कि सामंजस्य बना रहे। जिस से वह संबंधित होता है उसके प्रति समाज सेवक ईमानदारी और जवाबदेही से कार्य करता है और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा भी देता है।

मूल्यः योग्यता

नैतिक सिद्धांतः समाज सेवक योग्य क्षेत्र में व्यवहार और विकास करता है साथ ही अपने व्यवसायिक अनुभव को बढ़ाता है और बढ़ावा भी देता है।

समाज सेवक लगातार अपने व्यवसायिक ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है और उसे व्यवहार में लागू करता है। साथ ही अपने व्यवसायिक ज्ञान भंडार को लोगों में बांटने में भी रूचि रखता है।

नैतिकता संबंधी मानदण्ड

निम्नांकित नैतिक मानदण्ड सभी समाज सेवकों (सामाजिक कार्यकर्त्ता) के व्यवसायिक क्रिया-कलाप के लिए प्रासांगिक है। ये मानदण्ड है–

1) सामाजिक कार्यकर्त्ता की मुवक्किल के प्रति नैतिक जवाबदेही
2) सामाजिक कार्यकर्त्ता की सहकर्मी के प्रति नैतिक जवाबदेही
3) सामाजिक कार्यकर्त्ता की व्यवसाय (व्यवहार) विन्यास के प्रति नैतिक जवाबदेही
4) सामाजिक कार्यकर्त्ता की व्यवसायिक के प्रति नैतिक जवाबदेही
5) सामाजिक कार्यकर्त्ता की समाज कार्य व्यवसाय के प्रति नैतिक जवाबदेही
6) सामाजिक कार्यकर्त्ता की वृहद समाज के प्रति नैतिक जवाबदेही

अंतरराष्ट्रीय महत्व एवं आचार संहिता

जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में देखा कि अपने मुवक्किलों की सहायता करने के सामाजिक सेवकों के प्रयास हमेशा अच्छी नीयत से प्रेरित होते हैं किन्तु समस्याओं को प्रकृति एवं उनके संभावित समाधान विरोध एवं अंतरदृंद्ध को जन्म दे देते

हैं, जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता। जर्मनी के म्यूनिख शहर में 1958 में समाज कल्याण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ (IFSW) की स्थापना के बाद से ही परिवर्तित सदस्यों के हितों को उजागर करने का प्रयास नैतिक निर्देशों के अनेकों दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है।

इसका सर्वप्रथम विकास 1976 में हुआ और 1994 के समाज सेवकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह समाज सेवकों के नीतिशास्त्र का आधार बना, जिसमें सिद्धांत एवं मानदण्ड तय किये गये। इससे संघटनों एवं सदस्य देशों के मध्य नैतिक विचार-विमर्श को बढ़ावा मिला। इसने विविध संस्कति एवं स्थापनाओं के अनुकूलन हेतु मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, सामाजिक कार्य व्यवहार के दौरान होने वाले नैतिक विरोधाभासों की पहचान एवं उनको संबोधित करने की संस्तुति को अपना लक्ष्य बताया।

1954 के दस्तावेज में घोषणा की गई कि समाज कार्य बहुधा मानवीय, धार्मिक एवं प्रजातांत्रिक आदर्शों से उत्पन्न होते हैं एवं इनकी सार्वभौमिक उपयोगिता है।

आस्टेलिया के इंग्लेंड में समाज कार्य के स्कूलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (IASSW) के साथ वर्ष 2004 में हुए संयुक्त सम्मेलन के उपरान्त समाज सेवकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं समाज कार्य के स्कूलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सिद्धांतों के कथन के रूप में नया दस्तावेज आया।

नये दस्तावेज में यद्यपि पुराने दस्तावेज के लक्ष्यों को बरकरार रखा गया तथापि यह स्वीकार किया गया कि 'समाज सेवकों द्वारा कतिपय नैतिक चुनैतियों एवं समस्याओं का सामना देश विशेष के कारण है अन्यथा अन्य समस्याएं तो सामान्य रूप से उपस्थित है। सार्वभौमिक एवं संस्कृति सापेक्ष नैतिक सिद्धांतों के संभावित द्वन्द के पहचान के साथ ही हम अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं–

यद्यपि मानवाधिकारों व सामाजिक न्याय पर जोर देकर ही समाज कार्य को महत्व पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है तथपि IFSW/IASSW के सिद्धांतों के कथन ने भी कुछ समस्यागत क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें निम्न सम्मिलित हैः

- यह तथ्य कि विरोधाभासी हितों के मध्य में प्रायः सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का अनुराग होता है। यह तथ्य कि समाज सेवक नियंत्रक एवं सहायता करने वाले दोनों के रूप में करते हैं।
- दक्षता व उपयोगिता के सामाजिक मांग एवं समाज सेवकों द्वारा अपने साथ काम करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के कर्तव्य के मध्य होने वाले द्वन्द।
- यह तथ्य कि समाज के संसाधन सीमित है।

इन सबसे बावजूद व्यवहार में लाने हेतु मौलिक सिद्धांतों को निर्देशिका के रूप में बढ़ावा दिया गया जो कि निम्न है।

- मानवाधिकार एवं मानवीय गरिमा
- स्वनिर्धारण के सिद्धांत का सम्मान करना
- भाग लेने के अधिकार को बढ़ावा देना
- प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण समझना
- क्षमता की पहचान व विकास करना

- **सामाजिक न्याय**
  - नकारात्मक भेदभाव को चुनौती देना (इसमें सकारात्मक भेदभाव यथा- विशेष अधिकार देना या सकारात्मक कार्य करना शामिल नहीं है)
  - निविधता की पहचान करना
  - संसाधनों का न्याय संगत वितरण
  - अनुचित नीतियों एवं प्रचलनों को चुनौती देना एवं एक जुटता के साथ कार्य करना।

सिद्धांतों के कथन (स्टेटमेन्टस ऑफ प्रिपुल) दस्तावेज व्यावसायिक आचरण पर निर्देश देते है। साथ ही साथ देश विशेष में प्रचलित निर्देशों अथवा नैतिक विद्यानों एवं TFSW/IASSW के कथन के साथ सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए आपसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने की बात भी दस्तावेज में मिलती है।

समाज कार्य व्यवसायी निम्नांकित मुद्दे, उनके दक्षता योग्यता के मुद्दे मानवीय व्यवहार तथा अमानवीय व्यवहार का निर्धारण अपने मुवक्किल (Client) की जिम्मेदारी से देखभाल पर जो सामूहिक इसके संबंध में स्पष्टीकरण चाहते थे।

नैतिक निर्णय क्षमता निर्माण संबंधी पहलू

सार्वभौमिक बनाम सांस्कृतिक के बीच लम्बे समय से तनाव है और यह तनाव नैतिकता संबंधी स्वरूप के निर्माण तनाव है और इसने तनाव नैतिकता संबंधी स्वरूप के निर्माण के लिए समाज के अंदर बहस को जन्म दिया कि कैसे अच्छी तरह के सिद्धांत को एक संस्कृति से दूसरे संदर्भ में परिवर्तित किया जाए, इसके लिए विचार करता है यह पहलू अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि जैसे निरंतरता के विपरीत होने वाली क्रिया अर्थात अन्त (समाप्ति) जहां पर सार्वभौमिक विचार यह तर्क प्रस्तुत करता है कि समान नैतिक निगम व अपिरहार्य अधिकार सभी जगह सांस्कृतिक सापेजतावादी विचार दृढ़ता पूर्वक यह बतलाता है कि कोई भी सामान्य मानदंड मौजूद नहीं है बल्कि यह केवल सांस्कृतिक निशेषता (हेले 2007)। हेले का कथन है कि उपरोक्त व्यवसायिक और व्यावहारिक महत्व बढ़ता रहा और फिर यह सार्वभौमिक रूप में स्वीकार होता चला गया। इससे सामाजिक कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में पड़ गये कि वे इनमें से किसका चुनाव करें। दोनों ध्रुवों के बीच में नरमपंथी भी खड़े हो गये जबकि समाज सेवक दूसरे दस्तावेज को बताने लगे जैसे संयुक्त राष्ट्र का मानवीय अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र (संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों का उपायुक्त 1948) वे विशेष सांस्कृतिक संदर्भ में किस प्रकार अच्छी तरह से सिद्धांत लागू से इस पर विचार करे।

हेले यह भी बतलाता है कि परिवार में बच्चे और स्त्री की भूमिका व मान-सम्मान एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके कारण व्यक्तिगत अधिकार और सांस्कृतिक परंपरा के बीच टकराव पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिस असमंजस स्थिति का सामना किया उसका वर्णन इस प्रकार है– सामाजिक कार्यकर्त्ता का समुदायिक सेवा के दौरान एक वियतनामी महिला से संपर्क हुआ जिसे हाल में ही यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उसका पति भी समुदाय के दूसरे पुरुषों की भांति अविश्वसनीय नेचर का है तथा पर स्त्री गामी है। साथ ही इंजेक्शन द्वारा नशील ड्रग का सेवन भी करता है, इससे

उसको एड्स हो गया है। अपने पति के इन सब बुराईयों के मद्देनजर उस स्त्री ने अपने बच्चों के साथ, पति का साथ त्यागकर अपने मायके में चली गई। (इस भय से कि कहीं पति का एड्स रोग उसे भी न लग जाए।) मायके में स्त्री की मां ने उसे बुरी तरह डांटा और कहा कि पत्नी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पति के साथ रहकर उसकी सेवा करो। तुम इसे नजरअंदाज कर दो कि तुम्हारा पति एक बुरा आदमी है, यदि तुम्हें एड्स भी हो जाए तो भी पति के साथ ही रहे। साथ मत छोड़ो यही हमारी संस्कृति में पत्नी का कर्तव्य निर्धारित किया गया है।

IFSW/IASSW के सिद्धांत के अनुसार तो पत्नी को आत्म निर्णय का अधिकार है और सामाजिक कार्यकर्ता को भी उस स्त्री की सहायता करनी चाहिए और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। एक तरफ तो यह नैतिकता का यह सिद्धांत तथा दूसरी तरफ यह सार्वभौम सिद्धांत सांस्कृतिक मूल्य का प्रत्यक्ष अन्तर्विरोध का उदाहरण भी हो सकता है जो स्त्री के उचित स्थान के बारे में जैसे (मायका) अपना परिवार और ससुराल के परिवार में सही स्थान को निर्धारित करता है। यह नैतिकता संबंधी संकट की धारणा विचार और प्रचलित धारण जो सभी पर लागू होता है वे बीच गंभीर अन्तर्द्वन्द्व है साथ ही यह समुदाय और इसके सदस्यों के जीवन में सांस्कृतिक एकता के महत्व को भी प्रदर्शित करता है, जो व्यवसायिक समाज सेवक है, उनके पास उपलब्ध निर्देशन को अन्तर्द्वन्द्व से जुझ रहे समुदाय/व्यक्ति विशेष के पक्ष में भेजना चाहिए और निर्णय करना चाहिए दिन कौन सी कार्यवाही उनके मूल्य और नैतिकता के लिए सम्मान-प्रद है मुवक्किल (Client) और समुदाय दोनों के मान-मर्यादा के लिए आवश्यक भी है।

भारत में मामलों पर आधारित क्रिया-कलापों का संबंध प्रायः व्यवसायिक (जो शिक्षित है और आर्थिक संगठन है) तथा मुवक्किल (जो प्रायः अनपढ़ व गरीब होते हैं) से होता है। इस तरह के परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य व्यवसायिक अच्छे प्रयासों के बावजूद वहां पर ज्यादा झुकाव निर्देशात्मक बनाम मुवक्किल के साथ अनिर्देशात्मक (निर्देशन के विपरीत संदर्भ) होता है। सहयोग करने का संबंध कार्यकर्ता जो सहयोग करते हैं (भावात्मक आर्थिक और शैक्षणिक संदर्भ में) तथा मुवक्किल (Client) दिशा व निर्देशन कार्यकर्ता से प्राप्त करता है। (1989 P. 35) एसास ने इस संदर्भ में पाया कि अच्छे प्रयास और प्रशिक्षण के बावजूद

सामाजिक कार्यकर्ता को मुवक्किल के आत्मनिर्णय के सम्मान द्वारा चुनौतियां प्राप्त होते हैं साथ ही निर्देशात्मक मानक लागू नहीं करने की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए प्रोत्साहन देता है। इस संदर्भ में द. नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया ने अपने लक्ष्य व उद्देश्य में निम्न को शामिल किया है– व्यक्ति के जीवन परिवार व वातावरण की गुणवता ने बढ़ोत्तरी सामाजिक परिवर्तन तथा मानवीय अधिकार के सिद्धांत से संबद्ध होना, और सामाजिक न्याय के विचार का प्रसार। उपरोक्त लक्ष्यों को लेकर एक संतुलित नैतिक संहिता बनाते समय बहुत सावधानी एवं विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होगी ताकि जटिल सिद्धांतों व मूल्यों का संतुलित स्वरूप लक्ष्य से भटक नहीं जाए।

सारांश

बहुत सारे दूसरे सहायता करने वाले प्रोफेशन के विपरीत समाज कार्य व्यवसाय मूल्य पर आधारित है तथा सामाजिक न्याय की ओर केन्द्रित हैं यह बहुत ध्यान से और पारदर्शिता से किया जाने वाला कार्य है। व्यवसायिक सामाजीकरण के अंतर्गत समाज कार्य के मूल्यों के संबंध में शिक्षण देना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है अमेरिकन एसोसिएशन आफ सोशल वर्कस 1947 के सम्मेलन में एक औपचारिक नैतिक-संहिता को अंगीकृत किया गया। इस नैतिक-संहिता में संशोधन NASW के सदस्यों के सम्मेलन में 1999 में किया गया। NASW का यह नैतिक-सहिता निम्नांकित मूल्यों (गुणों) पर आधारित है– सेवा कार्य सामाजिक न्याय, मान सम्मान, माननीय संबंधों का महत्व, ईमानदारी-सच्चाई एवं दक्षता।

कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत तथा नैतिक विषयक सिद्धांत के अनुसार, उच्च स्तरीय नैतिक कारको का नियमानुकूल होना आवश्यक है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके तथा यथा पूर्वस्थिति में परिवर्तन लाया जा सके। 'रीमर' ने भी नैतिक निर्णय क्षमता के प्रारूप के बारे में बताया है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित विशेषताएं शामिल है– नैतिक मुद्दे तथा विराधाभासी मूल्यों की पहचान, अच्छाई-बुराई तथा नैतिक एवं कानूनी सिद्धांतों से जुड़े कारगर कार्यवाही, व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति जागरूकता, सहकर्मी तथा विशेषज्ञों से सलाह-मशवरा निर्णय लेना, निर्णय लेने की प्रक्रिया का दास्तावेजीकरण और लिये गये निर्णयों का पर्यवेक्षण व मूल्यांकन।

अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य के मूल्य एवं नैतिक विषयक संहिता से संबंधित औपचारिक वक्तव्य 1976 में आया परन्तु उससे बहुत पहले अर्थात् एक लंबे समय (काल क्रम) के दौरान यह धीरे-धीरे विकसित हुआ तथा इसका चरमोत्कर्ष वर्ष 2004 में IFSW/IASSW के वक्तव्य के साथ हुआ। वर्तमान में भी यही चल रहा है। इन अंतर्राष्ट्रीय संघटनों के द्वारा उद्घोषित नैतिक विषयक सिद्धांत व मूलय को सर्वव्यापी दृष्टिकोण एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बीच विवाद के बारे में समझ विकसित करने में बहुत समय लगा है।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

Crain, W.C. (1985) कोहलबर्ग द्वारा रचित पुस्तक 'स्टेज ऑ मोरल डेवलपमेंट इन थ्यौरी ऑफ डेबलपमेंट (PP-118-736.) अपर सेडल श्विर, NI: प्रेन्टिस हॉल।

एडवर्ड C.P. (1979) द काम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द डबजपैंट ऑफ मोरल जजमेंट एण्ड रिजनींग। In R. munroc, R.L. Munroe, तथा B.B. Whiting (Eds.), हैंड बुक ऑफ क्रॉस- कल्यरल यूमन डबलपमेंट (P.P. 501-527) न्यूयार्कश गारलेंड।

एसास, F.K (1989). द नेचर ऑफ केसवर्क प्रेक्टिस इन इंडिया स्टडी आफ सोशल वर्कस प्रीसेपसंस इन बांबे। इंटरनेशनल सोशल वर्क 32,25.28

गिलीगन, C. (1982) इन ए डिफरेन्ट वाइसः साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड बोमेनस डबलपमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः केम्ब्रिस.

हेले, L.M. (2007), समाज कार्य नीति विकास का मनोविज्ञानः नैतिक स्तर/नैतिक कारक की प्रकृति एवं मान्यता। सैन फ्रांसिस्कोः हार्यर एवं रो।

इंटर नेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क (1994) द इथिक्स ऑफ सोशल वर्क प्रिंसपल्स एंड स्टेंडर्स। 7 जून 2007 से इस वेबसाइट से पुनः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं- http://www.ifsw.org/en/-p-38000139.html

इंटर नेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क (2004) इपिक्स इन सोशल वर्क, स्टेटमेंट आफ प्रिंसपल- इसके बारे में 7 जून 2007 से इंटरनेशल कप्यूटर की बेवसाइड पुनः जानकारी उपलब्ध है।

http://www.ifsw.org/en/-p38000398.html

नेशनल एशोसिएशन आफ सोशल वर्कर्स (1999)। NASW कोड ऑफ इथिक्स वाशिंगटन डी.सीः ऑथर। 2 नम्बर 2007से वेबसाइट पर जारी।

http://www.hapswaionline.org/aims.html

पिगेट, J. (1965) द मोरल जजमेंट आफ द चाइल्ड-न्यूयार्कः द फ्री प्रेस

पावर F.C., हीज्जीनस, 8 कोहलबर्ग, L (1989) लारेन्स कोहलबर्गस एप्रोच टू मोरल हडुकेशन। न्यूयार्कः कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।

रावल्स, J. (1971), ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कैन्ब्रिज, M.A. हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

रीमर, F.G. (2006) ए सोशल वर्क बैल्यूस एंड इपिक्स (तृतीय एडिशन) न्यूयार्कः कालंविया यूनिवर्सिटी प्रेस।

यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर या ह!यूमन राइट्स (1948) यूनिवर्सल डिक्लीरेशन आफ हयूमन राइट्स। 8 जून 2007 से इस बेबसाइड पर उपलब्ध है-

http://www.unhchr.ch/udhr/